डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस.***

अनवान

वादी – 1.गोमाराम पुत्र खेताराम, जाति जाट
निवासी जाटों की ढाणी, चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.खेताराम पुत्र अचलाराम 2.पदमाराम 3.पन्नाराम पि.खेताराम
4.बाबूलाल 5.तगाराम पि.वीरमाराम 6.श्रीमती पेम्पों पत्नि वीरमाराम
जाति जाट, निवासी जाटों की ढाणी, चौहटन
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
7.तहसीलदार/उपपंजीयक चौहटन चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – श्री जगदीश पोटलिया
प्रतिवादीगण वकील – श्री ठाकराराम

वाद बाबत 88,53,188,40 RT Act.

मुकदमा नं. 174/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री जगदीश पोटलिया** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री ठाकराराम** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा जाटों की ढाणी (चौहटन), तहसील चौहटन में खसरा सं. 81 रकबा 34.06 बीघा, खसरा सं. 108 रकबा 15.02 बीघा, खसरा सं. 127 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 129 रकबा 01.01 बीघा, खसरा सं. 144 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 145 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 146 रकबा 88.04 बीघा, कुल रकबा 140.13 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि में वादी को 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 4 से 6 को संयुक्त रूप से 1/5 का खातेदार घोषित किया जाता है।** लगातार शेष पृष्ट पर..... बीज ..... मबलिग .... बाबत ..... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक ..... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10.09.2021 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा .....

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

मुहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:37:52 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया			रूपया	
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			मुतफरिक मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे ..... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 174/2014

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस

अनवान

वादी – 1.गोमाराम पुत्र खेताराम, जाति जाट
निवासी जाटों की ढाणी, चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.खेताराम पुत्र अचलाराम 2.पदमाराम 3.पन्नाराम पि.खेताराम
4.बाबूलाल 5.तगाराम पि.वीरमाराम 6.श्रीमती पेम्पों पत्नि वीरमाराम
जाति जाट, निवासी जाटों की ढाणी, चौहटन
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
7.तहसीलदार/उपपंजीयक चौहटन चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – श्री जगदीश पोटलिया
प्रतिवादीगण वकील – श्री ठाकराराम

अन्तर्गत धारा 88,53,188,40 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 10.09.2021

वादी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू विधि से शासित है। प्रतिवादी सं.1 वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 3 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 4 से 5 के दादा एवं प्रतिवादी सं. 6 के ससुर है। प्रतिवादी सं. 01 की खातेदारी भूमि खेत खसरा सं. 81 रकबा 34.06 बीघा, खसरा सं. 108 रकबा 15.02 बीघा, खसरा सं. 127 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 129 रकबा 01.01 बीघा, खसरा सं. 144 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 145 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 146 रकबा 88.04 बीघा, कुल रकबा 140.13 बीघा के मौजा जाटों की ढाणी (चौहटन), तहसील चौहटन में आई हुई है।

उक्त वादग्रस्त भूमि पक्षकारों के बाप दादों की सम्पति है। वक्त जागिर सेटलमेन्ट उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज काबिज थे। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 को विरासत में प्राप्त हुई। जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 से 6 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बनता है। इसी हिस्सानुसार पक्षकारों का मौके पर कब्जा काश्त है। पक्षकारों की अपनी अपनी ढाणियां, टांके,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:37:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

चाराबाड़े आदि बने हुए है। प्रतिवादी सं. 01 का जाइन्दा पुत्र होने के कारण वादी के जन्म से ही उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार पैदा हो गये। इस प्रकार उपरोक्त आराजी में वादी जन्म से ही हिस्सेदार एवं भागीदार हो गया। विधिनुसार यदि कोई हिन्दू पुंरूष अपने पिता या पितामह से सम्पति प्राप्त करता है तो वह सम्पति उसके पुत्रों के लिए खानदारी अर्थात पैतृक सम्पति हो जाती है। उस पैतृक सम्पति में हिन्दू पुरूष के पुत्र व पौत्र का जन्म से ही हक पैदा हो जाता है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति होने से वादी का हक जन्म से ही पैदा हो गया।

इसलिए वादी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में अपना 1/5 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवा कर अपना हिस्सा **"बाई मिट्स एवं बाउण्ड"** बंटवाड़ा करवा कर पृथक करवाना चाहता है जिस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीग सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री ठाकराराम ने वकालतनाम मय वादपत्र का इकबालिया जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारों एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया। वादी मय वकील ने उपस्थित होकर पत्रावली पर लिखित में निवेदन किया कि वे बंटवाड़ा नहीं करवाना चाहते है अतः धारा 53 Rt Act विड्रो की जावे। प्रतिवादी वकील को इस पर कोई आपति नहीं है। अतः धारा 53 Rt Act विड्रो की गई। उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 से 6 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार पक्षकारों का हिस्सा खातेदारी में घोषित करते हुए राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जावे। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 वादी गोमाराम का शपथ पत्र पेश किया जिसके समर्थन में लिखित दस्तावेज प्रदर्श ईएक्सपी 1 नकल जमाबन्दी मौजा जाटों की ढाणी, ईएक्सपी 2 नकल नक्शा मौजा जाटों की ढाणी, ईएक्सपी 3 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) मौजा चौहटन न्यायालय में Exibit करवाये।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया [illegible] संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि [illegible] है।

अतः न्यायाहित में वादी का वाद स्वीकार [illegible] जाकर **मौजा जाटों की ढाणी (चौहटन), तहसील चौहटन में खसरा सं. 81 रकबा 34.06 बीघा, खसरा सं. 108 रकबा 15.02 बीघा,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:37:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

खसरा सं. 127 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 129 रकबा 01.01 बीघा, खसरा सं. 144 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 145 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 146 रकबा 88.04 बीघा, कुल रकबा 140.13 बीघा भूमि में वादी को 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 4 से 6 को संयुक्त रूप से 1/5 का खातेदार घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भागीरथ राम II)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:37:52 IST
Reason: SelfAttested